

**झारखण्ड सरकार**  
**खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग**

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित समावेशन एवं अपवर्जन मानक –

• **समावेशन मानक :-**

- (a) 60 वर्ष अधिक उम्र के सभी व्यक्ति जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/निगर पालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित न हों।
- (b) सभी विधवा एवं परित्यक्ता जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/निगर पालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित न हों।
- (c) वैसे सभी निःशक्त व्यक्ति जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 40 या इससे अधिक हो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/निगर पालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित न हों।
- (d) सभी आदिम जन जाति सदस्य जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/निगर पालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित न हों।
- (e) कैंसर, एड्स, कुष्ठ जैसे असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/निगर पालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित न हों।

• **अपवर्जन मानक :-**

- (a) परिवार का कोई भी सदस्य जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/निगर पालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हों।
  - (b) परिवार का कोई सदस्य जो आयकर/सेवा कर/व्यवसायिक कर देता है।
  - (c) परिवार का सदस्य झारखंड वैट अधिनियम के तहत पंजीकृत Assessee है।
  - (d) परिवार पाँच एकड़ अथवा उससे अधिक भूमि का स्वामी है।
  - (f) परिवार के किसी सदस्य के नाम से दो पहिया/तीन पहिया अथवा चार पहिया मोटर वाहन है।
  - (g) परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है।
  - (h) परिवार का कोई सदस्य संवेदक के रूप में निबंधित है।
  - (i) परिवार के किसी सदस्य के नाम से 2kVA या उससे अधिक का विद्युत संयोग निर्गत है।
  - (j) वैसे परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर/कम्प्यूटर/लैपटॉप/एयर कंडिशनर है।
- उपरोक्त मानकों में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।